संचिका सं0–15/डी0 एल0 ए0–पटना (रा0 उ0 प0) –02/2013–301/रा0 पटना, दि0–01/02/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, तारीख:........................

सं..रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–रसुलपुर, थाना नं0–52, सर्वे थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–रसुलपुर, थाना नं०–52 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 0.40 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या–99, 118 सभी अंश भाग एवं खेसरा संख्या–110 पूर्ण भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर	:	खेसरा संख्या–99 अंश, 120 पूर्ण, 117 पूर्ण
पूरब	:	खेसरा संख्या–100 पूर्ण, 109 पूर्ण, 115 पूर्ण
दक्षिण	:	खेसरा संख्या–101 पूर्ण, 111 पूर्ण, 118 अंश
पश्चिम	:	खेसरा संख्या–98 पूर्ण, 111 पूर्ण, 122 पूर्ण

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/1/13

सरकार के अवर **सचिव**

E/BSRDC/BAKAST MALIKONLY/ADHIGHOSHNA

ज्ञापांक सं0– 301/रा0 दिनांकः 01–02–13

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदा0, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

01/02/13

सरकार के उप सचिव।